न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 59/2018
आर.सी.एम.एस. :: 2018/00083

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी		घीसाराम पुत्र भेराराम जाति सीरवी निवासी खौड, तहसील रानी जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

-:: आदेश ::-

दिनांक : 23/7/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी धुलाराम के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड तहसील रानी के खसरा नम्बर 995 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 995/1 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा के नियम विरूद्ध किए गए लीज डीड आदेश को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 995 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 995/1 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका उपखण्ड अधिकारी पाली के लीज डीड आदेश एंव तहसीलदार पाली के आदेश भू.अ./04/80 दिनांक 12.01.2005 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से गै.मु. बेरा कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन आदेश द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 17.01.2005 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड तहसील रानी के खसरा नम्बर 995 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 995/1 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी घीसाराम पुत्र भेराराम सीरवी निवासी खौड को उपखण्ड अधिकारी पाली के लीज डीड आदेश एंव तहसीलदार पाली के आदेश भू.अ./04/80 दिनांक 12.01.2005 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से गै.मु. बेरा कर किया गया एवं उसकी पालना में तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 17.01.2005 स्वीकृत किया गया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिसके द्वारा घीसाराम पुत्र भेराराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया था। वक्त आवंटन/नियमन/लीज डीड जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया लीज डीड विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी के आवंटन ओदश की पालना में तहसीलदार रानी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 17.01.2005 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी घीसाराम पुत्र भेराराम सीरवी निवासी खौड तहसील रानी जिला पाली (राज.) के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश भू.अ./04/80 दिनांक 12.01.2005 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में तहसीलदार रानी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 17.01.2005 स्वीकृत किया गया एवं इसके पश्चातवर्ती नामन्तरकरण को निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली